**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही**
**पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.**

**राजस्व अपील : 16/2015**

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट :– |
|---|---|---|
| 1. सूकीबाई पत्नि चतराराम जाति माली निवासी शिवगंज<br>2. नारायणलाल पुत्र चतराराम जाति माली निवासी शिवगंज<br>3. हंसाराम पुत्र चतराराम जाति माली निवासी शिवगंज<br>4. संतोष पत्नि सोहनलाल पुत्री चतराराम जाति माली निवासी शिवगंज<br>5. विमला पत्नि मोहनलाल पत्नि चतराराम जाति माली निवासी शिवगंज<br>6. मूली पत्नि देसाराम पुत्र चतराराम जाति माली निवासी शिवगंज | | 1. नगरपालिका शिवगंज जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका शिवगंज<br>2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही<br>3. श्री पंच ओसवाल जैन पेढी शिवगंज जरिये अध्यक्ष प्रकाश गांधी निवासी शिवगंज |

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :–
श्री कलीम अव्वल, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री राजेन्द्रपुरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
श्री पी0के0 शाह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3

**–: निर्णय :–**

**दिनांक :** 5/12/17

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर सिरोही के आदेश क्रमांक/प. 12 (3) (54) राजस्व/78/4090–92 दिनांक 22.12.1979 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा शिवगंज के खसरा नमबर 171 रकबा 01 बीघा 1 बिस्वा किस्म रास्ते की भूमि को जिला कलक्टर सिरोही द्वारा आबादी में परिवर्तन कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को हस्तान्तरण करने का आदेश पारित किया है। ग्राम शिवगंज के खसरा नम्बर 172, 173, 174, 175 एवं 176 की राजस्व भूमि आई हुई है, जो अपीलाण्ट की खातेदारी की है। उकत भूमि खसरा नम्बर 171 रास्ते से लगती हुई है। इस रास्ते का उपयोग उपभोग अपीलाण्ट कदीम से करते है। उक्त भूमि रास्ते की भूमि के रूप में दर्ज है तथा अपीलाण्ट एवं आम रास्ते के रूप में लोक उपयोग में काम में लाया जा रहा है, जिससे उक्त भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार है। इस कारण दिनांक 20.03.1972 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जो आवंटन किया गया है, वह विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

अपने चहेतों को लाभ प्रदान करने की नियत से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को रास्ते की भूमि में अतिक्रमी बता कर आवंटन आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ जिला कलक्टर सिरोही द्वारा उपरोक्त विवादित रास्ते की भूमि बाबत आबादी रूपान्तरण एवं उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को हस्तानतरण करने का आलोच्य अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील पूर्ण रूप से म्याद बाहर है। उक्त भूमि कभी भी विवादित नही रही है तथा न ही इसका स्वरूप कभी भी रास्ते के रूप में रहा है। जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये भूमि का रूपान्तरण किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में नियमानुसार पट्टा निष्पादित करने के लिये प्रदान की है। इसी भूमि को लेकर अपीलाण्ट के पति/पिता चतराराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के मध्य विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन रहे है। जिसमें सर्वप्रथम वाद सिविल जज क0ख0 न्यायालय शिवगंज में मूल वाद संख्या 19/1994 प्रस्तुत किया गया था। जिसका निर्णय दिनांक 29.10.1999 को हुआ है। जिसकी अपील जिला न्यायालय सिरोही में प्रस्तुत की। जिसमें दिनांक 05.02.2005 को निर्णय पारित हुआ। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो विचाराधीन है। इस प्रकार उक्त अपील विशुद्ध रूप से म्याद बाहर है। अतः अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार शिवगंज द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राज./78/1609 दिनांक 06.10.1978 के जरिये मिसल संख्या 101/78 एवं 18/77 भेजल कर कस्बा शिवगंज में खसरा नम्बर 171 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा में से 2 बिस्वा भूमि नगरपालिका शिवगंज को आबादी में परिवर्तन करने पर निवेदन करने पर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित करते हुए उक्त भूमि आबादी में परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए नगरपालिका शिवगंज को प्रदान की गई, जो नगरपालिका शिवगंज द्वारा पंच महाजननान पेढी शिवगंज को पिंजरापोल के प्रयोग हेतु आवंटन की गई। अब जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट ने उक्त भूमि को रास्ते एवं सार्वजनिक उपयोग की होना बताते हुए आदेश को अपास्त कराने का अनुतोष चाहा है। इस सम्बन्ध में सिलसिलेवार विभिन्न न्यायालयों में अपीलाण्ट के पति/पिता चतराराम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3. के मध्य वाद विचाराधीन/निर्णित हुए है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट को उक्त आदेश की जानकारी आरम्भ से ही रही है। इसके बावजूद अपीलाण्ट ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लगभग 35 वर्ष पश्चात प्रस्तुत अपील को अन्दर मयाद शुमार कराने का निवेदन किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि देरीना प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु प्रतिदिन देरी का कारण स्पष्ट करना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें ऐसा कोई कारण अंकित नही किया, जो देरी को कण्डोन करने हेतु उचित प्रतीत होता हो। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से स्वीकार योग्य नही पाई जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट की अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित जैर अपील आदेश को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 4.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही